न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **368 / 2024** दायर दिनाँक **29.10.2024**

वादी		**प्रतिवादी**
1.बनवारीलाल पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act., 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री प्रकाश डूकिया एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.04.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके शरहद मण्डाबासनी नये खसरा संख्या 914 रकबा 0.6814 है. बारानी जिसके पुराना खसरा संख्या 648 थे जिसके पश्चिमी सीमा को सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा सहवन से राजस्व ट्रेस नक्शे में सीधी लाईन से दर्शित कर दिया है जबकि वादी के उक्त खेत खसरा के पुराने ट्रेस नक्शा में पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा से आगे बढकर पश्चिमी सीमा दर्शाई हुई है। इसलिए वादी अपने उक्त खसरा नम्बर की पश्चिमी सीमा को पूर्ववत् राजस्व रेकर्ड में घोषणा कराने का अधिकारी है तथा इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा प्रस्तुत है। वर्तमान ट्रेस नक्शा व गत ट्रेस नक्शा में खसरा नम्बर 914 रकबा 0.6814 हैक्टेयर बारानी राजस्व रेकर्ड में सहवन से पश्चिमी दिशा को उत्तर दिशा में अवस्थित खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा को एक सीधी रेखा के रूप में दोनों खसरा नम्बरों की पश्चिमी सीमा को एक समानान्तर रूप से दर्शित कर दिया है। जबकि मौके पर खसरा नं0 914 की पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा से आगे बढ़ कर पश्चिमी सीमा अवस्थित । इसलिये वर्तमान ट्रेस नक्शा प्रमाणित में दर्ज खसरा नम्बर 914 की भूमि के पश्चिम सीमा के उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा को एक सीध में अर्थात दोनों खसरों की भूमि की पश्चिमी सीमा को एक समानान्तर रूप नक्शा ट्रेस से डिलिट कर पुराने ट्रेस नक्शा में दर्शित पश्चिमी दिशा जो खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा से आगे बढ़ की पश्चिमी सीमा अवस्थित है. को पुनः खातेदारी में दर्ज की जावें एवम् वर्तमान नक्शा में वादी के खेत खसरा नम्बर 914 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा जो एक सीध में अर्थात सामानान्तर रूप से दर्शित भूमि को दुरूस्त कर ट्रेस नजरी नक्शा से हटाया जावें, जिसे वादी ने नजरी नक्शा वाद के साथ अनुसूची अ प्रस्तुत कर रहा है। जिसमें मार्क ए से बी हिस्सा नक्शा राजस्व में दुरूस्त कर पुनः खातेदारी में दर्ज किया जावें, इसलिये यह वाद बाबत दुरुस्ती नक्शा ट्रेस

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

हेतु भी यह वाद प्रस्तुत है। नजरी नक्शा में मार्क ए से बी वर्तमान खसरा नम्बर 914 रकबा 0.6814 हैक्टेयर की भूमि की पश्चिमी सीमा को खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा अर्थात दोनों खसरा नम्बरान की पश्चिमी सीमा को एक सीध में करने अर्थात सामानान्तर रूप से दर्शित करने के कारण वादी को अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि वादी के खेत की पश्चिम सीमा को खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा के सामानान्तरण एक सीध में राजस्व रिकॉर्ड में घोषित रह जाती है तो वादी को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से सम्भव नहीं होगी, इसलिए वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:-

वाके शरहद मण्डाबासनी खसरा संख्या 914 रकबा 0.6800 है. भूमि पुनः पूर्व ट्रेस नक्शा में दर्शित अनुसार वादी की खातेदारी में घोषित की जावे। खसरा नम्बर 914 रकबा 0.6814 है. की भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि अ में मार्क ए से बी भूमि को नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करावें अर्थात वादी के खसरा नम्बर 914 की पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा से पश्चिम की ओर आगे बढी हुई दर्शित करते हुये राजस्व रेकर्ड में ट्रेस नक्शा को दुरूस्त किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादी की खातेदारी की भूमि न तो स्वयं दखल करें न अन्य से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक रीडर/2025/185 दिनांक 21.04.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 914 रकबा 1.01 है. भूमि में से अवाप्ति आदेशुसार मौके पर बाईपास सडक निकलने से अब वर्तमान में खसरा संख्या 914 रकबा 1.01 की वर्तमान स्थिति खसरा संख्या 914 रकबा 0.6814 है. प्रार्थी की भूमि, खसरा संख्या 1339/914 रकबा 0.0200 है. ग्राम पंचायत दादूबासनी, खसरा संख्या 1382/914 रकबा 0.2450 है. खसरा संख्या 1383/914 रकबा 0.0336 है. प्रार्थी की भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 0.01 है. अवस्थित है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 914 का साबिक खसरा संख्या 648 का जिला कार्यालय से प्राप्त नक्शा किश्तवार सन 1960-61 व नक्शा किश्तवार मोमी शीट सन 1960-61 में अन्तर पाया गया है वर्तमान ऑनलाईन नक्शा मोमी शीट के मुताबीक सही है अर्थात साबिक खसरा नम्बर 648 व 649 की पश्चिमी सीमा एक ही लाईन में सीधी है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 914 का साबिक खसरा नम्बर 648 के लगते ही चारागाह भूमि का साबिक खसरा नम्बर 643 में से विविध राजकीय कार्यालयों /न्यायालय/मिनी सचिवालय के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है अब नक्शों में संशोधन करने पर राजहित प्रभावित होता है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम मण्डाबासनी के खसरा नम्बर 914 रकबा 0.6814 है. की भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि अ में मार्क ए से बी भूमि को नक्शा

Weas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

ट्रेस में दुरूस्त करावें अर्थात वादी के खसरा नम्बर 914 की पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 915 की पश्चिमी सीमा से पश्चिम की ओर आगे बढी हुई दर्शित करते हुये राजस्व रेकर्ड में ट्रेस नक्शा को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 914 के साबिक खसरा संख्या 648 का वर्तमान ऑनलाईन नक्शा, मोमी शीट के मुताबीक सही है अर्थात साबिक खसरा नम्बर 648 व 649 की पश्चिमी सीमा एक ही लाईन में सीधी है।

वादी अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि खसरा संख्या 914 रकबा 0.6814 है. बारानी जिसके पुराना खसरा संख्या 648 थे जिसके पश्चिमी सीमा को सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा सहवन से राजस्व ट्रेस नक्शे में सीधी लाईन से दर्शित कर दिया है जबकि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शा, मोमी शीट के मुताबीक सही है। अतः वादी अपने इस कथन को साबित करने में असमर्थ रहा कि उक्त वर्णित खसरा नक्शा में हुई त्रुटी सेटलमेंट के दौरान हुई है। एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 914 का साबिक खसरा नम्बर 648 के लगते ही चारागाह भूमि का साबिक खसरा नम्बर 643 में से विविध राजकीय कार्यालयों /न्यायालय/मिनी सचिवालय के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है जिससे राजहक प्रभावित होगा। अतः आवंटन होने के बाद दुरूस्ती से आवंटन अधिकारी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो कि वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

वाके शरहद मण्डाबासनी खसरा संख्या 914 रकबा 0.6800 है. भूमि मे राजस्व नक्शा मे रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी,एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना